



महानगर लखनऊ-226006
फोन : 0522-2337452
फैक्स नं0: 0522-2337453
सीयूजी : 9454400167

पीएसी मुख्यालय
उत्तर प्रदेश

पत्रांक:पीएसी-1-152(1)2026 /1365
दिनांक:अप्रैल 30, 2026

Email:sec1pachq.lu@up.gov.in

आदेश

पुलिस महानिरीक्षक, "स्थापना" उ0प्र0 के पत्र संख्या: दस-329/2025(अधियाचन-1015)/109 दिनांक 17.11.2025 द्वारा प्राप्त उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-तीन-5(01)/2025 दिनांक 10.11.2025 के साथ संलग्न सूची में अंकित उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली-2015 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्तों को छोड़ते हुये मुख्य आरक्षी पीएसी के पद पर पदोन्नति हेतु चयन वर्ष 2025 की रिक्ति के सापेक्ष कुल 990 आरक्षी उपयुक्त पाये गये हैं। इनमें से माह अप्रैल 2026 की 23 रिक्तियों के सापेक्ष तात्कालिक प्रभाव से निम्नलिखित आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस/बिगुलर/डी0आर0 को उनकी वर्तमान नियुक्ति की वाहिनी/जनपद/इकाई में मुख्य आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है:-

क्र0 सं0	वरिष्ठता क्रमांक	पीएनओ	कार्मिक का नाम	पिता का नाम	नियुक्ति स्थान	चयन वर्ष
1	2	3	4	5	6	7
1	1849	060490807	रियाज अहमद	श्री सुबरात अली	10वीं वाहिनी बाराबंकी	2025
2	1850	060490197	सुजीत कुमार	श्री रामनरेश	गोण्डा	2025
3	1852	060720388	असरार अली	श्री तैयब अली	12वीं वाहिनी फतेहपुर	2025
4	1853	060490751	संजय कुमार प्रजापति	नर्वदेश्वर प्रजापति	कमिश्नरेट लखनऊ	2025
5	1854	060501178	गुलाब यादव	रामबरत यादव	कमिश्नरेट लखनऊ	2025
6	1855	060490256	गौरी शंकर यादव	घनश्याम यादव	अयोध्या	2025
7	1856	061862076	शत्रुघ्न यादव	श्री शिवनाथ यादव	मऊ	2025
8	1857	060490298	विश्वनाथ	रामदास	अयोध्या	2025
9	1858	060570143	वृजेश कुमार यादव	श्री राजेन्द्र सिंह यादव	सोनभद्र	2025
10	1859	060620141	राजेश कुमार यादव	स्व0 परशुराम यादव	कमिश्नरेट लखनऊ	2025
11	1860	060660132	अभिषेक कुमार सिंह	श्री बब्बन सिंह	जौनपुर	2025
12	1861	060640084	मो0 फैयाज अहमद	मुख्तार अहमद	कमिश्नरेट लखनऊ	2025
13	1862	060697325	अबुल फैज अंसारी	अबुल केश अंसारी	जनपद भदोही	2025
14	1863	060500915	अशोक कुमार यादव	श्री रामानन्द यादव	26वीं वाहिनी गोरखपुर	2025
15	1864	060620255	प्रेम नारायण	रामनरेश	कमिश्नरेट लखनऊ	2025
16	1865	060570299	रमेश कुमार यादव	श्री बद्री प्रसाद यादव	पीटीएस सुलतानपुर	2025
17	1866	060440945	राकेश कुमार	श्री राजमन	30वीं वाहिनी गोण्डा	2025
18	1867	060502458	हरिशंकर प्रसाद	महादेव प्रसाद	11वीं वाहिनी सीतापुर	2025
19	1869	060697312	अमरेश कुमार पटेल	श्री राजकिशोर	मऊ	2025

20	1870	060720708	जितेन्द्र कुमार वर्मा	श्री बालेश्वर वर्मा	कमिश्नरेट प्रयागराज	2025
21	1871	060531227	विनोद कुमार	छेदी राम	गोरखपुर	2025
22	1874	060570286	रधुराज सिंह	श्री माधौ सिंह	कमिश्नरेट कानपुर नगर	2025
23	1875	060570156	राममिलन यादव	रम्पत यादव	देवरिया	2025

2- उक्त आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस अपने वर्तमान नियुक्ति स्थान वाहिनी/जनपद/इकाई/कमिश्नरेट में पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। यदि किसी कर्मी के नियुक्ति का स्थान स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो उक्त कर्मी को उसके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा तथा इस मुख्यालय को सूचित किया जायेगा।

3- पदोन्नत मुख्य आरक्षियों को पदोन्नति की तिथि से 2 वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा, जिसे उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2015 के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा अवधि के दौरान परिवीक्षाधीन व्यक्ति से ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी जैसा कि विभागाध्यक्ष द्वारा विहित किया जाय। प्रशिक्षण के सम्बन्ध में पृथक से अवगत कराया जायेगा।

4- पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित आरक्षियों से संलग्न प्रारूप (क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या: 13/21/89-का-1-1997 दिनांक:28.05.1997 के खण्ड-2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियाँ विद्यमान न हों:-

- (क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है,
- (ख) यदि कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप-पत्र जारी किया जा चुका है।
- (ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात् न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

5- यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-4 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान नहीं हैं तो सम्बन्धित आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस को मुख्य आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-4 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान पायी जाती हैं तो सम्बन्धित कर्मी के पदोन्नति के आदेश का क्रियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या पीएसी मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुये निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

6- यदि सम्बन्धित आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित आरक्षी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस वाहिनी/जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस वाहिनी/जनपद/इकाई में सम्बन्धित आरक्षी द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित सम्बन्धित कर्मी को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख पीएसी मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। पदोन्नति प्राप्त मुख्य आरक्षियों को रिक्ति के सापेक्ष समायोजित/स्थानान्तरित किये जाने का आदेश पृथक से जारी किया जायेगा।

संलग्नक:घोषणा-पत्र

30/4
(डा० प्रीतिन्दर सिंह)
पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी,
उ०प्र० लखनऊ।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ / कानपुर नगर / प्रयागराज ।
- 2- पुलिस महानिरीक्षक, "स्थापना" उत्तर प्रदेश ।
- 3- समस्त अपर पुलिस महानिदेशक जोन उत्तर प्रदेश ।
- 4- समस्त पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र उ0प्र0 लखनऊ ।
- 5- समस्त पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी जोन उत्तर प्रदेश ।
- 6- समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, पीएसी अनुभाग उत्तर प्रदेश ।
- 7- सेनानायक, 10वीं / 11वीं / 12वीं / 26वीं / 30वीं वाहिनी पीएसी उ0प्र0 ।
- 8- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा / अयोध्या / मऊ / सोनभद्र /
जौनपुर / भदोही / गोरखपुर / देवरिया ।
- 9- पुलिस अधीक्षक, पी0टी0एस0 सुलतानपुर ।

स्वघोषणा-पत्र

मैं.....(नाम/पदनाम व पीएनओ)
 पुत्र.....निवासी थाना..
 जनपद.....वर्तमान में (जनपद/इकाई का नाम).....
 नियुक्त हूँ तथा प्रशिक्षण सत्र का आरक्षी हूँ।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि:-

(क) "मेरे विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है तथा कोई आपराधिक अभियोग मा० न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही वर्तमान में निलम्बित हूँ।"

2- उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरी पदोन्नति निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत करते हुये मेरे विरुद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

3- यह घोषणा-पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)

नियुक्ति स्थान/दिनांक

यदि सम्बन्धित आरक्षी के विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली 1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित है अथवा कोई आपराधिक अभियोग मा० न्यायालय में विचाराधीन है अथवा निलम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण उसके द्वारा नीचे अंकित किया जायेगा:-

- (1) वर्तमान में निलम्बित है तो उसका निलम्बन आदेश/दिनांक तथा कारण
- (2) मेरे विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक को आरोप-पत्र दिया गया है।
- (3) मेरे विरुद्ध मु०अ०सं०.....धारा.....थाना..... जनपद..... में लम्बित है, जिसमें दिनांक को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी द्वारा आरोप-पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में स्तर पर चल रहा है।

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी
नाम/पदनाम की मुहर

नोट:- स्वघोषणा-पत्र में अंकित जो प्रस्तर अथवा उप प्रस्तर लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (X) दिया जाये।